कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1274 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 03/01/ ~~दिसम्बर~~ 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.755 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/16302/2015)

सन्दर्भ :–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/256/2016/एफ0सी0/1228 दिनांकः–16.10.2023 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या–844 दिनांक 28.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दि0 28.09.2022 के द्वारा पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है **(प्रति संलग्न)**। वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त पौड़ी के पत्रांक 1189/12–1 दिनांक 05.12.2023 के द्वारा एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार बढ़ी हुयी धनराशि जमा करते हुये सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो कि निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है : –

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 440 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पा द्वारा अवगत कराया गया है कि 440 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) रुपये 4,84,000.00 (चार लाख चौरासी हजार) मात्र वैब पोर्टल पर Online चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की गयी है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 –एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.12.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रुपये 4,96,035.00.00 (चार लाख छियानब्बे हजार पैंतीस) मात्र वैब पोर्टल पर Online चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की गयी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी वर्तमान दरों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (NVP) की दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रू0 2,62,899.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की गयी है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियों (440 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव तथा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि) रुपये 12,42,934.00.00 (बारह लाख बयालीस हजार नो सौ चौंतीस) मात्र को वैब पोर्टल पर Online चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1 एवं 2 के अनुसार)**

o/c

	तदर्थ निकाय खाते में वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया जाना आवश्यक है जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां– जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.12.2023 से अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
6	State Govt. will provide original hard copy of digital map of the forest land proposed for diversion showing the proposed road.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त मोटर मार्ग के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग/वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 1189 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, 05/12/ ,2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर के निर्माण हेतु 0.755 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/16302/2015

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/256/2016 एफ0सी0/1228 दिनांक 16.10.2017.**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 1397/12–1(2) दिनॉक 30.10.2023 से अवगत कराया गया है कि विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक–1099/13सी0 दिनांक 18.05.2022 **(संलग्नक–1)**, प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक–4687/12–1(2) दिनांक 17.06.2022 **(संलग्नक–2)**, इस कार्यालय के पत्रांक–3017/12–1 दिनांक 25.06.2022 **(संलग्नक–3)**, नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या–844/FP/UK/ROAD/16302/2015 दिनांक 28.09.2022 **(संलग्नक–4)** के द्वारा पूर्व में ही उच्चस्तर को प्रेषित कर दी गई है।

प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार की पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किये जाने के पश्चात् पुनः प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवंउत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक–2518/13सी0 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 440 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 342/12–1(2) दिनॉक 31.07.2023 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 440 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) **रुपये 4,84,000.00 (चार लाख चौरासी हजार)** मात्र जमा की गई है। **(संलग्नक–5)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0 सी0 दिनांक 05–02–2009के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007––एफ0 सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि **रुपये 4,96,035.00 (चार लाख छियानब्बे हजार पैंतीस)** मात्र जमा की गई है। **(संलग्नक–5 के अनुसार)**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों के अनुसार की अतिरिक्त धनराशि **रुपये 2,62,899.00 (दो लाख बासठ हजार आठ सौ निन्यानब्बे)** मात्र जमा की गई है। **(संलग्नक–6)**

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण/भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून
पंजी0 सं0 2528
पत्रावली 12-1
दिनांक 18-12-23

सा0अधि0/प्रभा0/रुद्रप्रयाग आवश्यक कार्य
अ0प्र0व0सं0/नो0अधि0 हे0 18-12-2023

JAIDEEP

क्रमशः पेज 02 पर

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007 एफ0 सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्[illegible] का भुगतान (440 वृक्षों के वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव तथा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही **कुल रुपये 12,42,934.00 (बारह लाख बयालीस हजार नौ सौ चौंतीस)** मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। **(संलग्नक–5 व 6 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में trip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस आशय का वचनबद्वत्ता का प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव में संलग्नकर उच्चस्तर को प्रेषित किया गया है, बचनबद्धता की सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
6	State Govt. will provide original hard copy of digital map of the forest land proposal for diversion showing the proposed road.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों की मूल प्रति पूर्व में प्रस्ताव विभाग के पत्रांक–941/13सी0 दिनांक 19–04–2017 के द्वारा अपर प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून के कार्यालय में प्रेषित किये जा चुके हैं।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

५ जाक्र

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.
E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 1099/13सी॰ दिनांक 18/05/2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक
रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– *जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.755 है. वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।*

सन्दर्भः– *वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/256/2016/ एफ.सी./1228 दिनांक 16–10–2017 एवं आपका पत्रांक 4204/12–1–2 दिनांक 09–05–2022।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः निम्नवत् प्रेषित हैः–

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 440 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा दस गुना (44×10=440) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु ₹ 484000.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (Bank Transaction No. 323720180904283049 Dated 12.09.2018 सलंग्न हैं)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा N.P.V. की धनराशि ₹ 496035.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 76 पर संलग्न हैं।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं. 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	खण्ड द्वारा समस्त देयकों जैसे दस गुना वृक्षारोपण व 10 वर्षो तक रख–रखाव एवं एन.पी.वी. की धनराशि का पूर्ण भुगतान ₹ 980035.00 वन विभाग के पक्ष में दिये गये निर्देशानुसार जमा कर लिया गया हैं। व आनॅलाईन प्राप्त पावती रसीद (जिसमें जमा की गई धनराशि का विवरण दिया गया है) सुलभ सन्दर्भ हेतु सलंग्न है।
5	सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस आशय का वचन बद्वत्ता का प्रमाण–पत्र सलंग्न कर प्रेषित है।

28

6	State Govt. will provide original hard copy of digital map of the forest land proposal for diversion showing the proposed road.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के डिजिटल (जियो रिफरेन्स) व टोपोशीट मानचित्रों की मूल प्रति पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 941/13सी, दिनांक 19-04-2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित किये जा चुके है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयवर्णित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18/05/2022

(इ. मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

पत्रांक /13सी,

दिनांक / /2022

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

संलग्नक -①

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 04-09-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EECDPWDUKM
PIF/Application No.	6116302307
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/256/2016/FC
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, Rudraprayag
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	ukhimathpwd@yahoo.in 9675838652 1364-284239
Amount(in Rs)	980035/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words Nine Lakh Eighty Tho[illegible] Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)

Bank's Transaction Number: 32372018090428304[illegible] | Branch Stamp

CORPORATION BANK, OLD RAILWAY ROAD, ROORKEE

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 04-09-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EECDPWDUKM
PIF/Application No.	6116302307
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/256/2016/FC
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH,Rudraprayag
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	ukhimathpwd@yahoo.in 9675838652 1364-284239
Amount(in Rs)	980035/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words Nine Lakh Eighty Thousand [illegible] Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)

Bank's Transaction Number: 323720180904283049 | Branch Stamp

CORPORATION BANK, OLD RAILWAY ROAD, ROORKEE

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes[illegible]

P.C. Attested

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
नि० खण्ड लो०नि०वि० अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सलग्नक-82

76

पपत्र–43

रियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन. पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की य धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा न०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो न०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

ष्ठ अभियन्ता,
ण खण्ड,लो०नि०वि०,
ख्रीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C. Attested

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
नि० खण्ड लो०नि०वि० अधिकारी
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

संलग्नक -(3)

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण के पश्चात् मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर जहां–जहां सम्भव हो सके प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

P.C. Attested

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
नि० खण्ड लो०नि०वि० अधिकारी
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सेलम्नक -(4)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath

E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in | Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 941 /13 सी0 दिनांक 19 /04 /2017

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

विषय:- **चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग (FP/UK/ROAD/16302/2015) पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार (क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून) द्वारा लगायी गयी ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् कर दिया गया है:-

Sl. No.	Objections	Clarifications
1	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are shown at very few points on google earth image which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	Detailed Geo reference map has been uploaded online at section C(iv) part I with suitable number of coordinates.
2	At A 1 (x) Part I online, total period for which diversion is required is not correctly filled.	Correction has been made online at section E part I of form A.
3	Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in Part I is issued in the year 2010. May clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	Clarification regarding validity of Adminstrative and Financial Sanction of this road has been uploaded in Additional information Section.
4	The authority letter is not uploaded in favour of the applicant "Andeep Rana".	Authority letter has been uploaded in favour of applicant Er. Andeep Rana in A 3 of form A.
5	The details furnished in district profile showing shortfall in stipulated CA against total area diverted in the district. This may be clarified and need necessary correction in online Part II.	Correction has to be done at DFO level at part ii.

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:-

1- जियो रिफरेन्स मैप (1न0)
2- टोपोशीट (1न0)
3- नामित प्रमाण-पत्र Authority letter (1न0)
4- स्वीकृति की वैधता का प्रमाण-पत्र (1न0)

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /13 सी0 दिनांक / /2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून। (संलग्नः- उपरोक्तानुसार)
2- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

डिजिटल मानचित्र – जनपद रूद्रप्रयाग में विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में चौमासी से निवत्तरं मोटर मार्ग का निर्माण

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

डिजिटल मानचित्र – जनपद रूद्रप्रयाग में विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का निर्माण

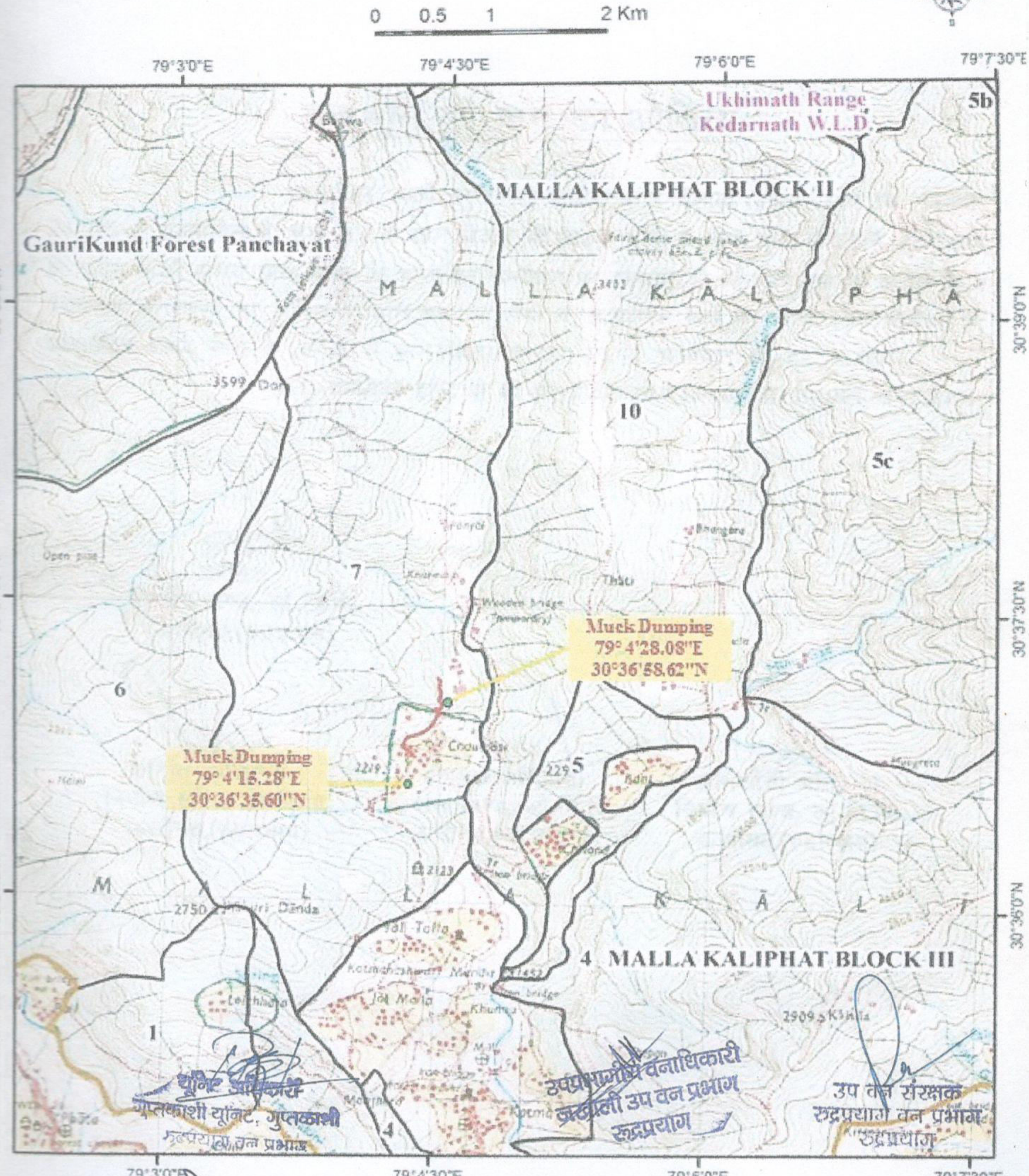

Legend

- Proposed Road
- Range Boundary
- Reserve Forest Boundary

यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट, गुप्तकाशी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
ऊखीमठ उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

J.E

A.E
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रूद्रप्रयाग

R.S.I गौरीकुण्ड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 2518 / 13सी॰ दिनांक 04/10 /2023

सेवा में,

उपवन सरंक्षक,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– *जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.755 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।*

सन्दर्भः– *वन सरंक्षक, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/256/2016/एफ॰सी॰/1228 दिनांक 16–10–2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1099/13सी॰ दिनांक 18–05–2022।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः निम्नवत् प्रेषित हैः–

क्र॰सं॰	शर्त्तो का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 440 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा दस गुना (44X10=440) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रु 484000.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(छायाप्रति सलंग्न है)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा पूर्व में एन॰पी॰वी॰ की धनराशि रु 496035.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	बढी हुई दरों के अनुसार एन॰पी॰वी॰ की धनराशि रु 262899.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। **(आनॅलाईन प्राप्त पावती रसीद सुलभ सन्दर्भ हेतु सलंग्न है)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं॰ 5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	खण्ड द्वारा समस्त देयकों जैसे दस गुना वृक्षारोपण व 10 वर्षो तक रख–रखाव, एन॰पी॰पी॰ की धनराशि एवं बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त एन॰पी॰वी॰ की धनराशि कुल रु 1242934.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में दिये गये निर्देशानुसार जमा कर दिया गया है। **(आनॅलाईन प्राप्त पावती रसीद सुलभ सन्दर्भ हेतु सलंग्न है)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वत्ता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित बचनबद्वता का प्रमाण–पत्र सलंग्न है।
6	State Govt. will provide original hard copy of digital map of the forest land proposal for diversion showing the proposed road.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के जियोरेफरेन्स व टोपाशीट मानचित्रों की मूल प्रति पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 941/13सी दिनांक

	19–04–2017 द्वारा अपर प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित किये जा चुके है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार 3–3 प्रतियों में।

(इं॰ मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।
दिनांक 04/10/2023

पत्रांक 2518 /13सी॰
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।